न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 11/2011

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
रूपाराम सुथार पुत्र धनाजी सुथार जाति सुथार निवासी पीथापुरा (एम) तहसील रेवदर जिला सिरोही		1 हंसाराम पुत्र केवाजी जाति सुथार निवासी पीथापुरा (एम) तहसील रेवदर जिला सिरोही 2 गेनाराम पुत्र केवाजी जाति सुथार निवासी पीथापुरा (एम) तहसील रेवदर जिला सिरोही 3 वगता पुत्र केवाजी जाति सुथार निवासी पीथापुरा (एम) तहसील रेवदर जिला सिरोही 4 दिलीपकुमार पुत्र मनजी जाति सुथार निवासी पीथापुरा (एम) तहसील रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नगेन्द्र मेडतिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री कलीम अव्वल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4

–: निर्णय :–

दिनांक : 5.12.17

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 27/2011 हंसाराम वगैरा बनाम रूपाराम में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वास्ते विभाजन आराजी का प्रस्तुत किया, जिसमें वादीगण ने यह स्पष्ट कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मौके पर पक्षकारान के मध्य विभक्त है तथा मौके पर खातेदारान अपने अपने हक हिस्से की आराजी पर बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे है, मौके पर कब्जे व खातेदारी हक बाबत कोई विवाद नही है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में नही होते हुए भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जो विधि विरूद्ध है। एक खातेदार काश्तकार को अपनी कृषि आराजी में अपने हक हिस्से की आराजी पर निर्माण कार्य करने का पूरा अधिकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक खातेदार को अपने 50वें हिस्से की भूमि पर सुधार कार्य करने का पूरा अधिकार है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर सुधार कार्य के तहत घास डालने हेतु टीनशेड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिसे मातहत अदालत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रोका है, जो न्यायोचित नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का एक भी बिन्दु नही होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पक्ष में जैर अपील आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट, जो कि एक खातेदार काश्तकार है, को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत नही है। अतः अपील स्वीकार करावे तथा जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है। दौराने वाद अपीलाण्ट रेस्पोडेन्ट्स के हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा था। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जो न्यायोचित है। अपीलाण्ट अपने हिस्से की भूमि के 50वें हिस्से में निर्माण कार्य करने का कथन करते है, इसके लिये भी सक्षम अनुमति आवश्यक होती है, जो अपीलाण्ट द्वारा प्राप्त नही की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील आदेश की भूमि अपनी संयुक्त खातेदारीसुदा होना बताते हुए उक्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषित कराने हेतु मूल वाद प्रस्तुत किया तथा उसके साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सह खातेदारी के तौर पर दर्ज है। कानूनन सह खातेदारी भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच की भूमि पर कब्जा काश्त माना गया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट भी राजस्व रेकर्ड में बतौर सहखातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट/अप्रार्थी द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होने वादस्थ भूमि में से अपने हिस्से की भूमि पर निर्माण करना स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि भूमि मौके पर संयुक्त है। विधिवत बंटवाडा नही हुआ है। अतः बिना बंटवाडा के निर्माण किया जाना नियमानुसार नही है। इस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट अप्रार्थी को मूल वाद के निर्णय तक निर्माण कार्य करने से रोका है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है। हालांकि एक सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाना चाहिए, किन्तु एक सह खातेदारी भूमि पर किसी अन्य सह खातेदार द्वारा विधिक विभाजन से पूर्व भूमि के किसी विशिष्ठ हिस्से पर निर्माण कार्य किया जाता है, तो निश्चय ही विवाद होगा एवं वाद बाहुल्यता होगी। इसकी रोकथाम हेतु सम्बन्धित सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना ही न्यायोचित है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का मूलभूज उद्देश्य विवादग्रस्तम भूमि की अवस्था को हानि पहुंचाने व किसी प्रकार के परिवर्तन किए जाने से रोकना है, जिससे पक्षकारों के अधिकारों पर विपरित प्रभाव न पड़े। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा सह खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिससे अन्य सह खातेदारों के हक प्रभावित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट/अप्रार्थी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये मूल वाद के निर्णय तक निर्माण कार्य करने से रोका गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 27/2011 हंसाराम वगैरा बनाम रूपाराम में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी रेवदर का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 5.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली